प्रपत्र संख्या 4

विक्रय की उद्‌घोषणा

(नियम 29 व 54)

न्यायालय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली), खान एवं भूविज्ञान विभाग–दौसा

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956) की धारा 230–235–237 के अधीन चूक करने वाले **श्री रमेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा** द्वारा देय राजस्थान लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा, तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पत्ति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है, विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों में सम्पत्ति का विक्रय किया जायेगा।

स्थान को किसी आज्ञा के अभाव में, विक्रय सर्वेयर/खनि कार्यदेशक–II (अधिकारी का नाम बताया जाये) **श्री रमेश चन्द लोदीवाल** के द्वारा दिनांक 22.10.2021........ को 11:30 AM बजे (विक्रय का स्थान बताया जाये) में किया जायेगा। तथापि किसी भी लोट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में विर्निष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्च दे दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना वैध होगा। विक्रय की अन्य शर्ते निम्नलिखित हैः–

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये है, परन्तु इस उद्‌घोषणा में कोई त्रुटि, गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदायी नही होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने वाले के सम्बन्ध में किसी विवाद के उत्पनन होने की दशा में लॉट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जावेगा।
3. सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लॉट का खरीददार घोषित किया जायेगा, किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि वंह बोली लगाने के लिए वैधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि उंची बोली को मंजूर करने से इंकार करना उस हालत में न्यायालय का विक्रय करने वाले अधिकारी के विवके पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित हो।
4. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ओर्डर 21 के नियम 69 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थगित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में, प्रत्येंक लॉट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने की तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्रय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत, विक्रय करने वाले अधिकरी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फ़िर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, प्रथम विक्रय में होने वाले खर्चे के लिए तथा पुनः विक्रय के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिए उत्तरदायी होगा जो कि कलेक्टर द्वारा उससें इस प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह राजसव बकाया हो।

Scanned with CamScanner

(ख) खरीददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम, सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन, न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्‌टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि के क्रय–मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् सम्पत्ति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो, सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकेगी ओर दोषी खरीददार सम्पत्ति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिए वह फिर से बेची जाये, समस्त हक खो बैठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे, इस प्रकार वसूल किया जायेगा, जैसे की वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्त भारों से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फेक्ट्रियों के निर्माण के लिये या बागों तालाबों नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये, अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्‌टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्‌टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा चुकाने से पूर्व सिकी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मारफत वह (भूमि धारक) अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाये जैया कि सरकार उचित समझे।

अनुसूची

वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकमः– **339950/–**
2. कुर्की का खर्चाः– नियमानुसार
3. विक्रय का या यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई हो तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चाः– नियमानुसार।

योगः–339950–

बेची जाने वाली सम्पत्तिः– श्री रमेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्वत् 2072–2075 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 41 व नया खाता संख्या 40 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 131 रकबा 4.02 बीघा–बीस्वा में हिस्सा 1/2 एवं पुराना खाता संख्या 40 व नया खाता संख्या 39 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 128 रकबा 15.16 बीघा–बीस्वा में हिस्सा 68/316.

समूहों (लॉटों) की संख्याः–
बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरणः– बाकीदार श्री रमेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्वत् 2072–2075 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 41 व नया खाता संख्या 40 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 131 रकबा 4.02 बीघा–बीस्वा में हिस्सा 1/2 एवं पुराना खाता संख्या 40 व नया खाता संख्या 39 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 128 रकबा 15.16 बीघा–बीस्वा में हिस्सा 68/316.

Scanned with CamScanner

राजस्थान एक्ट 15, 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्वः–
भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मारफत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण। तुलनार्थ देखिये राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 236 की उप–धारा (3):–

क्रमांकः– सखअ/दौसा/वसूली/2020/8479–8485 दिनांकः 15.09.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा
2. श्रीमान् तहसीलदार, लालसोट
3. DMGOMS को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करावे।
4. पुलिस थाना लालसोट को तामिल कराने हेतु।
5. सर्वेयर/खनि कार्यादेशक–II कार्यालय हाजा।
6. नगर परिषद लालसोट।
7. श्री रमेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

आज दिनांक 15/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई है।

सहायक खनि अभियन्ता (वसूली)
खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा

Scanned with CamScanner

प्रपत्र संख्या 4

विक्रय की उद्घोषणा

(नियम 29 व 54)

न्यायालय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली), खान एवं भूविज्ञान विभाग–दौसा

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956) की धारा 230–235–237 के अधीन चूक करने वाले **श्री भरत लाल पुत्र श्री रतन लाल निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा एवं श्री रामसहाय मीणा पुत्र श्री बालूराम निवासी ग्राम रालावास तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा** द्वारा देय राजस्थान लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा, तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पत्ति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है, विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों में सम्पत्ति का विक्रय किया जायेगा।

स्थान को किसी आज्ञा के अभाव में, विक्रय सर्वेयर/खनि कार्यदेशक–II (अधिकारी का नाम बताया जाये) **श्री रमेश चन्द लोदीवाल** के द्वारा दिनांक 22.10.2021 को 11:30 Am बजे (विक्रय का स्थान बताया जाये) में किया जायेगा। तथापि किसी भी लोट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में विर्निष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्च दे दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यत: विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना वैध होगा। विक्रय की अन्य शर्ते निम्नलिखित है:–

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये है, परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि, गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदायी नही होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने वाले के सम्बन्ध में किसी विवाद के उत्पनन होने की दशा में लॉट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जावेगा।
3. सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लॉट का खरीददार घोषित किया जायेगा, किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि वह बोली लगाने के लिए वैधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि उंची बोली को मंजूर करने से इंकार करना उस हालत में न्यायालय का विक्रय करने वाले अधिकारी के विवके पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित हो।
4. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ओर्ड़र 21 के नियम 69 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थगित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में, प्रत्येंक लॉट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने की तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्रय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत, विक्रय करने वाले अधिकरी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, प्रथम विक्रय में होने वाले खर्चे के लिए तथा पुन: विक्रय के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिए उत्तरदायी होगा जो कि कलेक्टर द्वारा उससें इस प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह राजसव बकाया हो।

Scanned with CamScanner

(ख) खरीददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम, सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन, न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्‌टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि के क्रय–मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् सम्पत्ति फिर से वेची जायेगी। विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो, सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकेगी ओर दोषी खरीददार सम्पत्ति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिए वह फिर से वेची जाये, समस्त हक खो बैठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा, जैसे की वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्त भारों से मुक्त वेची जायेगी और ऐसी भूमि के सम्वन्ध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फेक्ट्रियों के निर्माण के लिये या बागों तालावों नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये, अरथाई या स्थाई वास्तविक पट्‌टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्‌टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा चुकाने से पूर्व सिकी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मारफत वह (भूमि धारक) अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाये जैया कि सरकार उचित समझे।

अनुसूची

वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकावी की देय रकमः– 2,44,400/–
2. कुर्की का खर्चाः– नियमानुसार
3. विक्रय का या यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई हो तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चाः– नियमानुसार।

योगः–2,44,400/–

बेची जाने वाली सम्पत्तिः– बाकीदार श्री भरतलाल पुत्र श्री रतन लाल निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्वत् 2074–2077 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 57 व नया खाता संख्या 79 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 724 रकबा 1.14 हैक्टैयर का हिस्सा 1/4 एवं श्री रामसहाय मीणा पुत्र श्री बालूराम ग्राम रालावास तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा की राजस्व ग्राम रालावास तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा में स्थित भूमि सम्वत् 2073–2076 की जमाबन्दी पुराना खाता संख्या 91 नया खाता संख्या 85 में उल्लेखित खसरा संख्या 86 रकबा 25.12 बीघा–बिस्वा एवं खसरा संख्या 124 रकबा 0.15 बीघा–बीस्वा कुल खसरे 02 कुल रकबा 26 बीघा 7 बीस्वा का हिस्सा 1/10, जमाबन्दी पुराना खाता संख्या 88 व नया खाता संख्या 81 में उल्लेखित खसरा संख्या 88 रकबा 111 बीघा में से हिस्सा 1/10, जमाबन्दी नया खाता संख्या 94 एवं पुराना खाता संख्या 309/179 रकबा 21 बीघा 3 बीस्वा में से हिस्सा 1/20, जमाबन्दी नया खाता संख्या 62 एवं पुराना खाता

Scanned with CamScanner

संख्या 81 उल्लेखित खसरा संख्या 310/179 रकबा 25 बीघा 10 बीस्वा में से हिस्सा 1/5, जमाबन्दी नया खाता संख्या 61 एवं पुराना खाता संख्या 65 उल्लेखित खसरा संख्या 31 रकबा 1 बीघा 11 व खसरा संख्या 68 रकबा 0.06 बीघा– बीस्वा, खसरा संख्या 80 रकबा 0.03 बीघा–बीस्वा, खसरा संख्या 83 रकबा 9 बीघा 01 बीस्वा, खसरा संख्या 139 रकबा 1.11 बीघा–बीस्वा कुल खसरे 05 कुल रकबा 11.32 बीघा–बीस्वा का हिस्सा 1/5 एवं जमाबन्दी नया खाता संख्या 80 एवं पुराना खाता संख्या 87 में उल्लेखित खसरा संख्या 388/128 रकबा 41.09 बीघा – बीस्वा में से हिस्सा 1/40.

समूहों (लॉटों) की संख्या:–
बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण:– बाकीदार श्री भरतलाल पुत्र श्री रतन लाल निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्वत् 2074–2077 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 57 व नया खाता संख्या 79 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 724 रकबा 1.14 हैक्टैयर का हिस्सा 1/4 एवं श्री रामसहाय मीणा पुत्र श्री बालूराम ग्रम रालावास तहसील रामगढ़ पचवारा की राजस्व ग्राम रालावास तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा में स्थित भूमि सम्वत् 2073–2076 की जमाबन्दी पुराना खाता संख्या 91 नया खाता संख्या 85 में उल्लेखित खसरा संख्या 86 रकबा 25.12 बीघा–बिस्वा एवं खसरा संख्या 124 रकबा 0.15 बीघा–बीस्वा कुल खसरे 02 कुल रकबा 26 बीघा 7 बीस्वा का हिस्सा 1/10, जमाबन्दी पुराना खाता संख्या 88 व नया खाता संख्या 81 में उल्लेखित खसरा संख्या 88 रकबा 111 बीघा में से हिस्सा 1/10, जमाबन्दी नया खाता संख्या 94 एवं पुराना खाता संख्या 309/179 रकबा 21 बीघा 3 बीस्वा में से हिस्सा 1/20, जमाबन्दी नया खाता संख्या 62 एवं पुराना खाता संख्या 81 उल्लेखित खसरा संख्या 310/179 रकबा 25 बीघा 10 बीस्वा में से हिस्सा 1/5, जमाबन्दी नया खाता संख्या 61 एवं पुराना खाता संख्या 65 उल्लेखित खसरा संख्या 31 रकबा 1 बीघा 11 व खसरा संख्या 68 रकबा 0.06 बीघा– बीस्वा, खसरा संख्या 80 रकबा 0.03 बीघा–बीस्वा, खसरा संख्या 83 रकबा 9 बीघा 01 बीस्वा, खसरा संख्या 139 रकबा 1.11 बीघा–बीस्वा कुल खसरे 05 कुल रकबा 11.32 बीघा–बीस्वा का हिस्सा 1/5 एवं जमाबन्दी नया खाता संख्या 80 एवं पुराना खाता संख्या 87 में उल्लेखित खसरा संख्या 388/128 रकबा 41.09 बीघा – बीस्वा में से हिस्सा 1/40.
राजस्थान एक्ट 15, 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्व:–
भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मारफत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण। तुलनार्थ देखिये राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 236 की उप–धारा (3):–

क्रमांक:– सखअ/दौसा/वसूली/2020/8507-8516 दिनांक: 15.09.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा
2. श्रीमान् तहसीलदार, लालसोट/रामगढ़ पचवारा
3. DMGOMS को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करावे।
4. पुलिस थाना लालसोट/रामगढ़ पचवारा को तामिल कराने हेतु।
5. सर्वेयर/खनि कार्यादेशक–II कार्यालय हाजा।
6. नगर परिषद लालसोट।
7. **श्री भरतलाल पुत्र श्री रतन लाल निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा।**
8. **श्री रामसहाय मीणा पुत्र श्री बालूराम ग्रम रालावास तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।**

आज दिनांक 15/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई है।

15/9/2021

सहायक खनि अभियन्ता (वसूली)
खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा

Scanned with CamScanner

प्रपत्र संख्या 4

विक्रय की उद्घोषणा

(नियम 29 व 54)

न्यायालय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली), खान एवं भूविज्ञान विभाग–दौसा

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956) की धारा 230–235–237 के अधीन चूक करने वाले **श्री महेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा** द्वारा देय राजस्थान लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा, तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पत्ति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है, विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों में सम्पत्ति का विक्रय किया जायेगा।

स्थान को किसी आज्ञा के अभाव में, विक्रय सर्वेयर/खनि कार्यदेशक–II (अधिकारी का नाम बताया जाये) **श्री रमेश चन्द लोदीवाल** के द्वारा दिनांक 22:10:2021 को 11:30Am बजे (विक्रय का स्थान बताया जाये) में किया जायेगा। तथापि किसी भी लोट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में विर्निष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्च दे दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना वैध होगा। विक्रय की अन्य शर्ते निम्नलिखित है:–

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये है, परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि, गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदाय़ी नही होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने वाले के सम्बन्ध में किसी विवाद के उत्पनन होने की दशा में लॉट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जावेगा।
3. सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लॉट का खरीददार घोषित किया जायेगा, किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि वह बोली लगाने के लिए वैधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि उंची बोली को मंजूर करने से इंकार करना उस हालत में न्यायालय का विक्रय करने वाले अधिकारी के विवके पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित हो।
4. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ओर्डर 21 के नियम 69 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थगित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में, प्रत्येंक लॉट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने की तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्रय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत, विक्रय करने वाले अधिकरी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, प्रथम विक्रय में होने वाले खर्चे के लिए तथा पुनः विक्रय के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिए उत्तरदायी होगा जो कि कलेक्टर द्वारा उससें इस प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह राजसव बकाया हो।

Scanned with CamScanner

(ख) खरीददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम, सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन, न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि के क्रय–मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् सम्पत्ति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो, सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकेगी ओर दोषी खरीददार सम्पत्ति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिए वह फिर से बेची जाये, समस्त हक खो बैठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा, जैसे की वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्त भारों से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फेक्ट्रियों के निर्माण के लियें या बागों तालाबों नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये, अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा चुकाने से पूर्व सिकी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मारफत वह (भूमि धारक) अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाये जैया कि सरकार उचित समझे।

अनुसूची

वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकमः– **339950/–**
2. कुर्की का खर्चाः– नियमानुसार
3. विक्रय का या यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई हो तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चाः– नियमानुसार।

योगः–339950–

बेची जाने वाली सम्पत्तिः– श्री महेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि स[illegible] 2072–2075 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 41 व नया खाता संख्या 40 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 131 रकबा 4.02 बीघा–बीस्वा में हिस्सा 1/2 एवं पुराना खाता संख्या 40 व नया खाता संख्या 39 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 128 रकबा 15.16 बीघा–बीस्वा में हिस्सा 98/316.

समूहों (लॉटों) की संख्याः–
बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरणः– बाकीदार श्री महेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्वत् 2072–2075 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 41 व नया खाता संख्या 40 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 131 रकबा 4.02 बीघा–बीस्वा में हिस्सा 1/2 एवं पुराना खाता संख्या 40 व नया खाता संख्या 39 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 128 रकबा 15.16 बीघा–बीस्वा में हिस्सा 98/316.

Scanned with CamScanner

राजस्थान एक्ट 15, 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्वः—

भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मारफत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण। तुलनार्थ देखिये राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 236 की उप—धारा (3):—

क्रमांकः— सखअ / दौसा / वसूली / 2020 / 8500—8506 दिनांकः 15.09.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा
2. श्रीमान् तहसीलदार, लालसोट
3. DMGOMS को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करावे।
4. पुलिस थाना लालसोट को तामिल कराने हेतु।
5. सर्वेयर / खनि कार्यादेशक—II कार्यालय हाजा।
6. नगर परिषद लालसोट।
7. श्री महेश शर्मा पुत्र श्री गोवर्धन शर्मा निवासी ग्राम भगवतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

जरिये रजि० डाक

आज दिनांक 15/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई है।

15/09/2021

सहायक खनि अभियन्ता (वसूली)
खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा

Scanned with CamScanner

प्रपत्र संख्या 4

विक्रय की उद्‌घोषणा

(नियम 29 व 54)

न्यायालय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली), खान एवं भूविज्ञान विभाग–दौसा

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956) की धारा 230–235–237 के अधीन चूक करने वाले **श्री दीन दयाल मीणा पुत्र श्री मेदाराम निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा** द्वारा देय राजस्थान लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा, तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पत्ति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है, विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों में सम्पत्ति का विक्रय किया जायेगा।

स्थान को किसी आज्ञा के अभाव में, विक्रय सर्वेयर/खनि कार्यदेशक–II (अधिकारी का नाम बताया जाये) **श्री रमेश चन्द लोदीवाल** के द्वारा दिनांक 29.10.2021 को 11:30 Am बजे (विक्रय का स्थान बताया जाये) में किया जायेगा। तथापि किसी भी लोट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में विर्निष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्च दे दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना वैध होगा। विक्रय की अन्य शर्ते निम्नलिखित हैः–

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये है, परन्तु इस उद्‌घोषणा में कोई त्रुटि, गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदायी नही होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने वाले के सम्बन्ध में किसी विवाद के उत्पनन होने की दशा में लॉट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जावेगा।
3. सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लॉट का खरीददार घोषित किया जायेगा, किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि वह बोली लगाने के लिए वैधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि उंची बोली को मंजूर करने से इंकार करना उस हालत में न्यायालय का विक्रय करने वाले अधिकारी के विवके पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित हो।
4. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ओर्डर 21 के नियम 69 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थगित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में, प्रत्येंक लॉट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने की तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके क्रय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत, विक्रय करने वाले अधिकरी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, प्रथम विक्रय में होने वाले खर्चे के लिए तथा पुनः विक्रय के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिए उत्तरदायी होगा जो कि कलेक्टर द्वारा उससें इस प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह राजसव बकाया हो।

Scanned with CamScanner

(ख) खरीददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम, सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन, न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि के क्रय–मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् सम्पत्ति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो, सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकेगी ओर दोषी खरीददार सम्पत्ति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिए वह फिर से बेची जाये, समस्त हक खो बैठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा, जैसे की वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्तं भारों से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फेक्ट्रियों के निर्माण के लिये या बागों तालाबों नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये, अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा चुकाने से पूर्व सिकी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मारफत वह (भूमि धारक) अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाये जैया कि सरकार उचित समझे।

अनुसूची

वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकमः– **263900/–**
2. कुर्की का खर्चाः– नियमानुसार
3. विक्रय का या यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई हो तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चाः– नियमानुसार।

योगः–263900/–

बेची जाने वाली सम्पत्तिः– श्री दीन दयाल मीणा पुत्र श्री मेदाराम निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्वत् 2074–2077 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 137 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 777 रकबा 1.23 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1004/719 रकबा 1.51 हैक्टेयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 2.74 हैक्टेयर में से श्री दीनदयाल का हिस्सा 1/3.

समूहों (लॉटों) की संख्याः–
बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरणः– बाकीदार श्री दीन दयाल मीणा पुत्र श्री मेदाराम निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्वत् 2074–2077 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 137 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 777 रकबा 1. 23 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1004/719 रकबा 1.51 हैक्टेयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 2.74 हैक्टेयर में से श्री दीनदयाल का हिस्सा 1/3.

Scanned with CamScanner

राजस्थान एक्ट 15, 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्वः–

भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मारफत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण। तुलनार्थ देखिये राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 236 की उप–धारा (3):–

क्रमांकः– सखअ/दौसा/वसूली/2020/8493–8499 दिनांकः 15.09.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा
2. श्रीमान् तहसीलदार, लालसोट
3. DMGOMS को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करावे।
4. पुलिस थाना लालसोट को तामिल कराने हेतु।
5. सर्वेयर/खनि कार्यादेशक–II कार्यालय हाजा।
6. नगर परिषद लालसोट।

प्रतिलिपि श्री दीन दयाल मीणा पुत्र श्री मेदाराम निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा

आज दिनांक 15/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई है।

(हस्ताक्षर) 15/9/2021

सहायक खनि अभियन्ता (वसूली)
खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा

Scanned with CamScanner

प्रपत्र संख्या 4

विक्रय की उद्घोषणा

(नियम 29 व 54)

न्याय लय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली), खान एवं भूविज्ञान विभाग–दौसा

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956) की धारा 30–235–237 के अधीन चूक करने वाले **श्री रामकरण मीणा पुत्र श्री जादूराम मीणा निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा** द्वारा देय राजस्थान लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा, तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है, वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पत्ति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है, विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों में सम्पत्ति का विक्रय किया जायेगा।
स्थान को किसी आज्ञा के अभाव में, विक्रय सर्वेयर/खनि कार्यदेशक–II (अधिकारी का नाम बताया जाये) **श्री रमेश चन्द लोदीवाल** के द्वारा दिनांक 29.10.2021...... को 11.30 Am. बजे (विक्रय का स्थान बताया जाये) में किया जायेगा। तथापि किसी भी लोट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में विर्निष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्च दे दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यत विक्रय के समय जनता या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमंत्रित की जाती है। तथापि उक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मंजूर की जायेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना वैध होगा। विक्रय की अन्य शर्ते निम्नलिखित है:–

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये है, परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि, गलत विवरण या भूल होने के लिए न्यायालय उत्तरदायी नही होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी, विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। बोली की रकम या बोली लगाने वाले के सम्बन्ध में किसी विवाद के उत्पनन होने की दशा में लॉट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जावेगा।
3. सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लॉट का खरीददार घोषित किया जायेगा, किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि वह बोली लगाने के लिए वैधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि उंची बोली को मंजूर करने से इंकार करना उस हालत में न्यायालय का विक्रय करने वाले अधिकारी के विवके पर निर्भर रहेगा जबकि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित हो।
4. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ओर्डर 21 के नियम 69 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थगित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पत्ति की दशा में, प्रत्येंक लॉट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने की तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पत्ति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।
6. (क) भूमि तथा अन्य अचल सम्पत्ति की दशा में खरीददार घोषित किया गया व्यक्ति ऐसी घोषणा के पश्चात् उसके कय मूल्य की रकम का 25 प्रतिशत, विक्रय करने वाले अधिकरी के पास तुरन्त जमा करा देगा और इस प्रकार जमा न कराने पर उस पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी और उसको फिर से बेचा जायेगा और ऐसा व्यक्ति, प्रथम विक्रय में होने वाले खर्चे के लिए तथा पुनः विक्रय के कारण मूल्य में होने वाली किसी कमी के लिए उत्तरदायी होगा जो कि कलेक्टर द्वारा उससें इस प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह राजसव बकाया हो।

Scanned with CamScanner

(ख) खरीददार द्वारा क्रय मूल्य की पूरी रकम, सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् पन्द्रहवें दिन, न्यायालय बन्द होने से पूर्व जमा करा दी जायेगी, जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा, या यदि पन्द्रहवां दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो पन्द्रह दिन के पश्चात् न्यायालय खुलने के प्रथम दिन को जमा करा दी जायेगी।

(ग) अनुमत अवधि के क्रय-मूल्य की शेष रकम का भुगतान नहीं किये जाने पर विक्रय की गई विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् सम्पत्ति फिर से बेची जायेगी। विक्रय का खर्चा निकालने के पश्चात् जमा रकम यदि न्यायालय उचित समझे तो, सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकेगी ओर दोषी खरीददार सम्पत्ति पर या उस रकम के ऐसे किसी भी भाग पर, जिसके लिए वह फिर से बेची जाये, समस्त हक खो बैठेगा।

(घ) यदि अन्ततः किये जाने वाले विक्रय की आय ऐसे दोषी खरीददार द्वारा लगाई गई बोली के मूल्य से कम हो तो उनका अन्तर उससे इस प्रकार वसूल किया जायेगा, जैसे की वह राजस्व की बकाया हो।

7. (क) भूमि समस्त भारों से मुक्त बेची जायेगी और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खरीददार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति पहले से की गई समस्त संविदाएं नीलाम द्वारा किये जाने वाले विक्रय के समय खरीदने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय समझी जायेगी।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) में निहित कोई भी बात ऐसी भूमि के लिये लागू नहीं होगी जो कि रहने के मकानों या फेक्ट्रियों के निर्माण के लिये या बागों तालाबों नहरों, पूजा के स्थानों या श्मशान भूमियों या कब्रिस्तानों के लिये, अस्थाई या स्थाई वास्तविक पट्टों के अधीन धारण की जा रही हो। ऐसी भूमि ऐसे पट्टों में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रयोग में आती रहेगी।

(ग) उपरोक्त पैरा (क) में किसी भी बात के निहित होते हुए भी राज्य सरकार, विक्रय किये जा चुकाने से पूर्व सिकी भी समय निर्देश दे सकती है कि उस भूमि में धारक द्वारा जिसके मारफत वह (भूमि धारक) अधिकार रखने का दावा रखता है उत्पन्न किये गये भूमि में ऐसे हित या अधिकारों के अधीन विक्रय किया जाये जैया कि सरकार उचित समझे।

अनुसूची

वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकमः– **89950/–**
2. कुर्की का खर्चाः– नियमानुसार
3. विक्रय का या यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई हो तो अमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चाः– नियमानुसार।

योगः–89950–

बेची जाने वाली सम्पत्तिः– श्री रामकरण मीणा पुत्र श्री जादूराम मीणा निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्वत् 2074–2077 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 254 व नया खाता संख्या 255 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 117 रकबा 4.87 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 117/951 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 125 रकबा 0.010 हैक्टेयर, खसरा संख्या 126 रकबा 4.64 हैक्टेयर, खसरा संख्या 137 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 144 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा संख्या 151 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 302 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 303 रकबा 3.48 हैक्टेयर हैक्टेयर कुल खसरे 09 कुल रकबा 14.50 हैक्टेयर में से श्री जादूराम मीणा का हिस्सा 1/8 तथा सम्वत् 2074–2077 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 253 व नया खाता संख्या 253 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 110 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 111 रकबा 7.10 हैक्टेयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 7.11 हैक्टेयर में से श्री रामकरण मीणा का हिस्सा 1/2.

Scanned with CamScanner

समूहों (लॉटों) की संख्याः–
बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरणः– बाकीदार श्री रामकरण मीणा पुत्र श्री जादूराम मीणा निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा की राजस्व ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि सम्वत् 2074–2077 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 254 व नया खाता संख्या 255 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 117 रकबा 4.87 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 117/951 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 125 रकबा 0.010 हैक्टेयर, खसरा संख्या 126 रकबा 4.64 हैक्टेयर, खसरा संख्या 137 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 144 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा संख्या 151 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 302 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 303 रकबा 3.48 हैक्टेयर हैक्टेयर कुल खसरे 09 कुल रकबा 14.50 हैक्टेयर में से श्री जादूराम मीणा का हिस्सा 1/8 तथा सम्वत् 2074–2077 की जमाबन्दी में पुराना खाता संख्या 253 व नया खाता संख्या 253 में उल्लेखित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 110 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 111 रकबा 7.10 हैक्टेयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 7.11 हैक्टेयर में से श्री रामकरण मीणा का हिस्सा 1/2.
राजस्थान एक्ट 15, 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्वः–
भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मारफत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये गये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण। तुलनार्थ देखिये राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 236 की उप–धारा (3):–

क्रमांकः– सखअ/दौसा/वसूली/2020/8486–8492 दिनांकः 15.09.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा
2. श्रीमान् तहसीलदार, लालसोट
3. DMGOMS को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करावे।
4. पुलिस थाना लालसोट को तामिल कराने हेतु।
5. सर्वेयर/खनि कार्यादेशक–II कार्यालय हाजा।
6. नगर परिषद लालसोट।
7. श्री रामकरण मीणा पुत्र श्री जादूराम मीणा निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा

आज दिनांक 15.9.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई है।

15/09/2021

सहायक खनि अभियन्ता (वसूली)
खान एवं भू विज्ञान विभाग, दौसा

Scanned with CamScanner